International Journal of Applied Research 2023; 9(3): 161-168

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(3): 161-168
www.allresearchjournal.com
Received: 22-12-2022
Accepted: 30-01-2023

रंजना कुमारी
शोध छात्रा, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
रंजना कुमारी
शोध छात्रा, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

स्किल इंडिया

रंजना कुमारी

सारांश
माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 'स्किल इंडिया' अभियान शुरू किया। टेक्नोलॉजी एवं स्मार्टफोन ने कौशल प्रशिक्षण को नया आयाम दिया है। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की कोशिश चल रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ के युवाओं को श्रेष्टतम वैश्विक तौर–तरीके सीखाया जा रहा है एवं पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार में सफलता के लिए विशेष निपुणता एवं हुनर की आवश्यकता होती है। कौशल विकास का रोजगार से घनिष्ट सम्बन्ध है।कौशल विकास योजना रोजगार सृजन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्किल डेवलपमेंट योजना है। मेक इन इंडिया के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए इस योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा की गई। पीएम कौशल विकास योजना से जुड़कर युवा हुनरबंद हो जाते हैं और इसी हुनर के आधार पर उनकी बेरोजगारी दूर होती है। इसतरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं का कौशल निखर रहा है एवं ये स्वरोजगार व नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शामिल विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती है।सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए अच्छी फंडिंग की जा रही है। बड़ी योजना है, इसलिए भ्रष्टाचार भी है। कौशल विकास अभियान को भ्रष्टाचार के दीमक से बचाने की जरूरत है। इस योजना को सफल करने के लिए लालफीताशाही से भी बचाना होगा। भारत सरकार युवाओं को कुशल बनाने के लिए कटिबद्ध है।

कूटशब्द : बेरोजगारी, युवाओं, पेशेवर प्रशिक्षण, रोजगार, हुनरबंद, कौशल, स्वरोजगार, महत्वाकांक्षी, योजना, अभियान, भ्रष्टाचार, कुशल, कटिबद्ध

प्रस्तावना
कौशल विकास रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के लिए स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों के भीतर कौशल शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करने की जरूरत है। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़कर बच्चे न जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के प्रयास तेज होने चाहिए। इस उद्देश्य के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधनों सहित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सर्वप्रथम परिणाम यह होगा की बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ जाएगी। अतएव ''स्किल इंडिया'' कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम हो सकेगा एवं ''कुशल भारत–कौशल भारत'' की परिकल्पना साकार हो जाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 'स्किल इंडिया' अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को बाजार की दृष्टि से उपयुक्त कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें न्यू इंडिया और विश्व के बाजार की जरूरतों के अनुरूप सशक्त बनाना है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 2015–16 का रिपोर्ट यह कहता है कि हमें कौशल की दृष्टि से अभी लम्बा रास्ता तय करना है। इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। दुनिया के सफल देशों के मॉडलों को अपनाना होगा और एक बड़ी संख्या में अपने नौजवानों को सशक्त बनाना होगा। एक तुलनात्मक तस्वीर यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। भारत की श्रमशक्ति में से केवल 5 प्रतिशत लोग विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित हैं जबकि जापान–80 प्रतिशत, जर्मनी–75 प्रतिशत, ब्रिटेन–60 प्रतिशत, अमेरिका–52 प्रतिशत, मैक्सिकों–38 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया–96 प्रतिशत। इस तरह दुनिया में वहाँ के लोगों ने कौशल का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह तुलनात्मक तस्वीर कह रहा है कि भारत में आवश्यकता के अनुरूप कुशल कर्मियों की काफी कम संख्या है। वर्षों से यहाँ कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यह स्थिति है।
हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश हैं। पेशेवर प्रशिक्षण देना एक कठिन कार्य है। कई तरह की जटिलताएँ हैं। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हर स्तर पर कौशल प्रशिक्षण और विकास का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं ताकि 'कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास' को बढ़ावा मिल सके।

निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की जा रही है। निजी–सार्वजनिक भागीदारी के द्वारा कौशल विकास किया जा रहा है। हम प्रौद्योगिकी की मदद से प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आज के दौर में ऐसी भागीदारी का महत्व विशेष है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2009 में पहली राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रस्तुत की गई। उसके बाद टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आया। परिणामस्वरूप कौशल प्रणालियों में परिवर्तन आ गया।

कौशल प्रणालियों में इतने ज्यादा बदलाव आ गए कि उक्त नीति को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत महसूस होने लगी। यही कारण है कि 2015 में नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रस्तुत की गई है। कौशल विकास की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है। कौशल विकास की सभी गतिविधियों को एक ही दायरे के अन्तर्गत लाया जा रहा है। समान मानकों के अनुरूप इसे बनाया जा रहा है। मांग के अनुरूप इन कौशलों को ढालने की कोशिश की जा रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विविध क्षेत्रों में निरंतर अच्छी प्रगति होना जरूरी है। अतएव पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मियों की उपलब्धता से ही स्वस्थ और कुशल व्यावसायिक वातावरण बन सकता है। इस कार्य के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के बीच कुशल ताल–मेल बहुत ही जरूरी है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग– (टीवीईटी) के द्वारा टिकाऊ आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे प्रासंगिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और आजीवन सीखने की प्रवृति पैदा होगी। इसतरह 'टीवीईटी' सामाजिक–आर्थिक विकास, व्यक्तियों, परिवारों और स्थानीय समुदायों तक सीधे लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) पेशेवर प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही कंपनियों एवं संस्थानों को आर्थिक मदद दे रही है। एनएसडीसी ने एक बड़े नेटवर्क के द्वारा पिछले 10 वर्षों में ढाई करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है।

टेक्नोलॉजी एवं स्मार्टफोन ने कौशल प्रशिक्षण को नया आयाम दिया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ई–लर्निंग एग्रीगेटर पोर्टल–ई–स्कील इंडिया शुरू किया गया है। इस पोर्टल के अन्तर्गत 500 से ज्यादा ई–कोर्स कैटेलॉग किए गए हैं। 4000 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। यह पोर्टल कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सितम्बर 2020 तक तीन लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल में स्वयं को रजिस्टर किया है। अंग्रेजी और हिन्दी में मुफ्त में ए–लर्निंग मल्टी मीडिया सामग्री इससे प्राप्त किया जा रहा है। ई–स्कील इंडिया ने निजी क्षेत्र के 20 से अधिक संस्थानों के साथ जानकारी की भागीदारी की है। ये संस्थान है– टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, अपोलो मेडवर्सिटी, बीसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस इत्यादि। इन भागीदारियों से सीखने की सामग्री को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप बनाने में मदद मिल रही है। इसका एक फायदा यह सामने आया कि प्रशिक्षित कर्मियों की मांग और आपूर्ति के बीच ताल–मेल बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। विकास की चुनौतियां भी सामने खड़ी है जिसका हल निकालना है।

आज कौशल विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक बन गया है। यह इस महामारी के कारण हुआ है। कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अन्य देशों के साथ मिलकर यह प्रयास कर रहा है कि भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेशों में रोजगार मिल सके। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की कोशिश चल रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ के युवाओं को श्रेष्टतम वैश्विक तौर–तरीके सीखाया जा रहा है एवं पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मैकिन्सकी की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक विश्व में स्वचालन के कारण 40–80 करोड़ लोग अपने रोजगार गंवा देंगे। उन्हें कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए नए प्रकार के कौशल एवं प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इस परिपेक्ष्य में तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकीय उपलब्धता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए तकनीकी कौशल के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है।

भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक–आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे निर्णायक भूमिका होगी क्योंकि आगामी कुछ दशकों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़नी है। कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है। यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण–प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए तो अगले तीन–चार दशकों में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा। अभी देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं।

वर्ष 2025 तक भारत के पास दुनिया की सर्वाधिक श्रमशक्ति होगी। उस दौरान दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास कुशल श्रमशक्ति में लगातार कमी होगी। वर्ष 2025 तक दुनिया भर में करीब 8.5 करोड़ कुशल कामगारों की कमी होनी तय है। वैश्विक मानकों के अनुरूप अभी से उचित शिक्षण–प्रशिक्षण दिया जाए तो अगले एक–दो दशकों में भारत की कुशल श्रमशक्ति दुनिया भर में अपनी काबिलियत का परचम लहरा सकती है।

कौशल विकास के लिए सरकारी पहल

कौशल विकास पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के 20 मंत्रालय और विभाग देश में 47 कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाएं चला रहे हैं तथा 22 मंत्रालय और विभागों ने वर्ष 2016–17 में 99.35 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा। हालांकि दिसंबर 2016 तक केवल 19.58 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। मंत्रालय प्रशिक्षार्थियों को सीएनसी मशीनिंग, ऑटोमोटिव तकनीक, वेल्डिंग, प्लंबिंग निर्माण जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कौशल निखार हेतु देशभर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित किया है। ऐसा पहला संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा देश के विभिन्न ब्लॉकों में पीपीपी मोड में 1500 बहु–कौशल प्रशिक्षण संस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। देश में 2500 असेवित ब्लॉक हैं। कौशल सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक के वित्तपोषण से स्ट्राइव परियोजना, नवंबर 2016 में शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना भी चलाई जा रही है। वैश्विक स्तर के पेशेवर कौशल विकास के लिए एमएसडीई ने अब तक यूरोपीय संघ सहित 11 देशों–यूनाईटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, स्विटजरलैंड, कतर और जापान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति का निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम, मानक निर्धारण, प्रमाणन और समन्वय का शीर्ष संगठन है। इसके अन्तर्गत 13924 आईटीआई, 31 केन्द्रीय संस्थान, 12 निजी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान, 6 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय सहित कई राज्य व संगठन–स्तरीय संस्थान कार्यरत हैं। प्रशिक्षण विस्तार एवं गहनता के लिए इसने विभिन्न संगठनों के साथ 18 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। यह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षण चलाता है। इसके तहत हर साल करीब 392 ट्रेडों के लिए 16 परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की 126, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना की 259 और कौशल विकास पहल योजना की 578 ट्रेड भी इसके अधीन हैं। मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2017 से इसके अधीन भारतीय कौशल विकास सेवा भी शुरू की है। इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में बड़े पैमाने पर कौशलयुक्त कार्यबल सृजित करने और कुशल कार्यबल की मांग व आपूर्ति की विषमता पाटने के लिए डीजीटी के अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान अपने 7 शाखा कार्यालयों के साथ देशभर में कौशल प्रशिक्षण, आजीविका और उद्यमशीलता परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें 15 निगमों और संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का लक्ष्य आजीविका परियोजनाओं की संस्थापना, उद्यमशीलता संवर्धन, मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को परिचालन के लिए सहायता तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्प्रेरक का काम करना है। यह हर साल करीब 6 हजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा औसतन 1.50 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाना है। वर्ष 2016–17 में इसके कार्य निष्पादन से 34 राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के 540 जिलों में 2263 पाठ्यक्रमों के तहत 11 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह कौशल विकास के विस्तार हेतु देशभर में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना कर रहा है। अब तक 36 एसएससी स्थापित और 40 अनुमोदित हो चुके हैं, जो सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता क्षेत्रों तथा मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करती हैं। इसके अतिरिक्त एनएसडीसी ने इनकी मदद से प्रशिक्षण संचालन के लिए 34 क्षेत्रों के 348 मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इन परिषदों ने अब तक 27.70 लाख शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने के अलावा 1826 अर्हता पैक और 4886 असाधारण राष्ट्रीय पेशा मानकों का सृजन किया है जिन्हें 2028 से अधिक कंपनियों ने मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा क्षेत्रीय वंचनाओं को ध्यान में रखते हुए एमएसडीई ने वामपंथ अतिवाद से ग्रसित 10 राज्यों के 47 जिलों के युवाओं में कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतु वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में कौशल विकास योजना तैयार की है जिसके जल्द संचालित होने की संभावना है। एनएसडीसी, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित जम्मू–कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए उड़ान योजना चल रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में राज्य के 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करना है जिसके तहत अब तक 25 हजार युवाओं को कवर किया गया है जिसमें 17 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं।

अपने देश में कुशल श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमताओं का सृजन किया किया है। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है। 28 फरवरी 2018 तक इस मिशन के तहत एनएसडीसी के शुल्क–आधारित मॉडल के तहत 90.43 लाख छात्रों को जबकि मानक, प्रशिक्षण आकलन एवं पुरस्कार (स्टार) योजना के तहत 13.99 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत 20 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हैं। इन्होंने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के कौशलीकरण के लक्ष्य क्रमशः 125.69 और 117.50 लाख की तुलना में क्रमशः 104.16 और 60.32 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। इसने निगमित सामाजिक दायित्व और उद्योग भागीदारी के तहत कौशल विकास पहलों के संवर्धन और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए अब तक 9 निजी कंपनियों के साथ वित्तीय तथा 17 निजी कंपनियों के साथ गैर–वित्तीय एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। अधिकांश एमओयू राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, एनएसडीसी तथा कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हैं। कौशल विकास के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2017 को विश्व बैंक (आईडीबीआई) के साथ 250 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 19 जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ है। इसके वित्तीयन से 6 वर्षों के लिए आजीविका उन्नयन हेतु कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना शुरू की गई है, इस योजना में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, निवेशन तथा पीपीपी के द्वारा कौशल का विस्तार किया जाना है।

ग्रामीण रोजगार हेतु बजट

ग्रामीण आजीविका के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का 2020–21 के बजट में विशेष उल्लेख किया गया है और वित्तमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया है। आम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया है। इससे ग्रामीण आबादी का जीवन और भी आसान बनाने के सरकार के संकल्प तथा ग्रामीण गरीबी की समस्या को दूर करने के दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है।

2020–21 के केन्द्रीय बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,20,127.91 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो 2019–20 के 1,17,647.19 करोड़ रूपये के बजट अनुमान से अधिक है। ग्रामीण विकास विभाग राज्यों के साथ मिलकर कुछ बेहद अहम केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, सामाजिक सहायता एवं ग्रामीण महिला स्वयंसहायता समूह को प्रोत्साहन की योजनाएं शामिल हैं।

अत्यधिक गरीबी वाले 13 राज्यों में आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक कायाकल्प परियोजना आरंभ की गई है। परियोजना के अन्तर्गत प्रमुख गतिविधियों में क्लस्टर–स्तर के आदर्श महासंघ स्थापित करना, बड़े स्तर के किसान उत्पादक उद्यमों एवं किसान उत्पादक समूहों को बढ़ावा देना तथा सामूहिक गैर–कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है।

केन्द्रीय बजट में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव भी है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या मौजूदा 58 लाख से बढ़कर 2023–24 तक 78 लाख होने की संभावना है। इनमें 8,10,000 समूह चालू वित्त वर्ष में बनाए जाएंगे। स्वयंसहायता समूहों को ग्राम कृषि भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम भंडारण योजना वाले स्वयंसहायता समूहों से जोड़ने पर उन्हें 'धन लक्ष्मी' बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय के मौके सृजित होंगे। ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य महिला स्वयंसहायता समूहों के नैनो उद्यमों को सूक्ष्म उद्यमों में बदलना और उन्हें बैंकों से कर्ज दिलाना भी है। 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए युवाओं को मत्स्य–पालन विस्तार से जोड़ने का बजट प्रस्ताव भी विशेष रूप से तटवर्ती राज्यों में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह युवाओं को आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

पीएमकेवीवाई

इस योजना एमएसडीई की परिणाम–आधारित कौशल प्रशिक्षण की फ्लैगशिप का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम–आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने, नियोजनीय बनने व अपनी आजीविका कमाने में समर्थ और प्रेरित करना है। इस योजना के तहत 10 मार्च, 2018 तक 41.38 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं। मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी के माध्यम से सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के प्रत्येक जिले में मॉडल कॉशल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) योजना चला रहा है। इसके तहत 21 मार्च 2018 तक देश के 484 जिलों में 526 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं। इनमें से 400 खोले जा चुके हैं। पीएमकेवीवाई का पूरा फोकस रोजगार पर है। इसमें 50 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को वैतनिक रोजगार में तैनात करना आवश्यक है। इस योजना के तहत 21 मार्च, 2018 तक 2.25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें 90.4 हजार महिलाएं हैं। अब तक 1.47 लाख अभ्यर्थियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री युवा योजना (पीएमवाईवाई)– यह योजना शिक्षुता शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमशीलता संवर्धन के लिए युवाओं के बीच उद्यम समर्थकारी पारिस्थितिकी सृजन के उद्देश्य से शुरू की गई है। 30 साल तक के सभी भारतीय उद्यमियों के लिए उपलब्ध इस पंचवर्षीय (वर्ष 2016–17 से 2020–21) योजना में 14.5 लाख युवाओं को शिक्षा, कौशल व उद्यमशीलता में प्रशिक्षित तथा कुल 260 सामाजिक उद्यम स्थापित करना है। साथ ही 30 हजार स्टार्टअप सृजित कर करीब 2.60 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा करने हैं। इसके अलावा विदेशों में रोजगार और नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई है। इस योजना का नारा 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं' है। यह योजना एमएसडीई के प्रशिक्षण भागीदारों और विदेश मंत्रालय के परामर्श एवं सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है। कौशल प्रशिक्षण हेतु अब तक देश के 9 राज्यों में 16 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि रोजगार प्राप्त करने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की क्या भूमिका हो सकती है।
2. आवश्यक हुनर एवं विशेषता की कमी रोजगार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। इस सम्बन्ध में लोगों के विचारों को जानना अध्ययन का उद्देश्य है।
3. क्या कौशल प्रशिक्षण रोजगार संबंधी योग्यता को बढ़ाता है, इस संबंध में लोगों की मनोवृति का पता लगाना अध्ययन का उद्देश्य है।

उपकल्पना

इस अध्ययन में निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

किसी समस्या के चुनाव के पश्चात् शोधकर्त्ता समस्या के विषय में कार्य–कारण संबंधों का पूर्वानुमान करने की कोशिश करता है। यह पूर्वानुमान ही उपकल्पना है। यह कामचलाऊ अनुमान अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करता है। अध्ययन को आगे बढ़ाता है। वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा अध्ययन का उद्देश्य का लक्ष्य उपकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है वरन् वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। उपकल्पना का उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करना है। यह अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करता है। शोधकर्ता को अन्धकार में भटकने से बचाता है। गुडे एवं हाट ने कहा है कि ''उपकल्पना अनुसंधान और सिद्धान्त के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है।''

उपकल्पना अध्ययनकर्त्ता का मार्ग दर्शन करती है। सही दिशा बताती है। बिना उपकल्पना के हम शोध करने में असमर्थ हैं। अतः उपकल्पना अध्ययन के पूर्व का एक निष्कर्ष है। अनुमान है। इसप्रकार उपकल्पना सामाजिक शोध को आधार प्रदान करती है। इस प्रकार शोध विषय से संबंधित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। इसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

1. रोजगार में सफलता के लिए विशेष निपुणता एवं हुनर की आवश्यकता होती है।
2. कौशल विकास का रोजगार से घनिष्ट सम्बन्ध है।
3. कौशल विकास योजना रोजगार सृजन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र का विवरण

अध्ययन के समग्र के अन्तर्गत गया नगर एवं ग्रामीण परिवेश के उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया है।

अपने अध्ययन क्षेत्र गया के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में रखने का प्रयास किया जा रहा है।

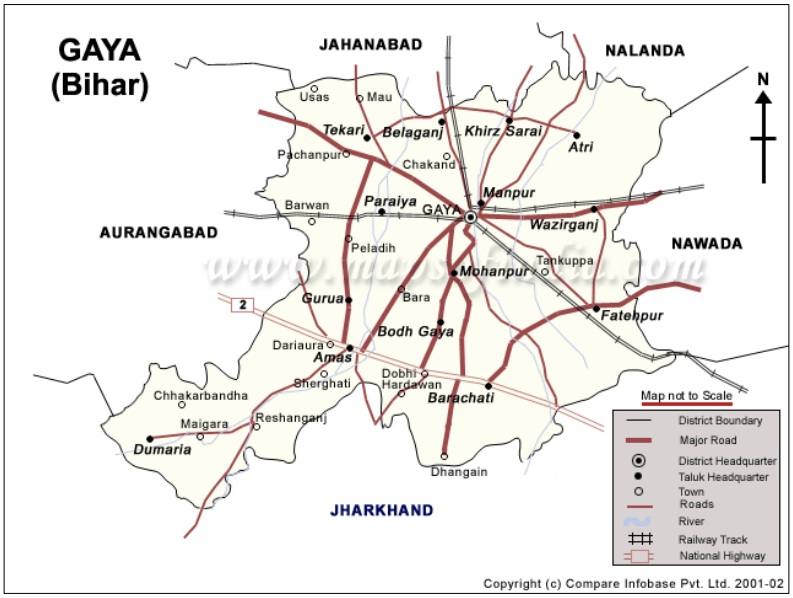

भौगोलिक स्थिति

जिला – गया
कमिश्नरी – मगध
मुख्यालय – गया
सबडिजीवन – गया सदर, शेरघाटी, टेकारी
जनसंख्या – 26,64,803 (27 लाख)
क्षेत्रफल – 4941 वर्ग कि.मी.
समुद्रतल से ऊंचाई – 113 मीटर
तापमान (गर्मी) – अधिकतम – 46 °C न्यूनतम–18 °C
(जाड़ा) – अधिकतम – 20 °C न्यूनतम – 4 °C
वर्षा – 186 से.मी.
सर्वश्रेष्ठ मौसम – नवम्बर से फरवरी
सड़क मार्ग – पटना से 112 कि.मी. दूर
रेलमार्ग – निकटवर्ती रेलवे स्टेशन – गया
(कलकत्ता से 458 कि.मी., वाराणसी से 220 कि.मी., पुरी से 589 कि.मी.)
वायुमार्ग – निकटवर्ती हवाई अड्डा–गया, पटना

ऐतिहासिक महत्व

राजधानी पटना से दक्षिण–पश्चिम, गया शहर पौराणिक काल से हिन्दुओं का प्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र रहा है। हिन्दुओं का विश्वास है कि यहां पिंड और तर्पण देने से मृत पूर्वजों को शांति व मोक्ष मिलता है।

आस्था है कि प्राचीन गया नगर 'गयासुर' नामक राक्षस के नाम पर बसा– जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि राक्षस गयासुर के कठोर तपस्या से देवताओं एवं यमराज को जब चिंता हुई तो भगवान विष्णु को इस स्थल पर साक्षात प्रकट होकर गयासुर को प्राणोत्सर्ग (स्वेच्छा से मरने के लिए) के लिए प्रेरित करना पड़ा। अन्ततः अपनी बलि हेतु तैयार हो जाने पर भी जब बलि संभव नहीं हो सका तो सभी देवताओं को प्रकट होकर इसके लिए कठोर प्रयास करना पड़ा। तभी से यह स्थल पवित्र मोक्ष स्थल और देवताओं का विश्राम स्थल माना जाने लगा। गया शहर को विष्णुनगरी भी कहा जाता है।

फल्गू नदी के तट पर बसे गया नगर का इतिहास 'बौद्ध काल से लेकर रामायण काल' तक जाता है– जब राम और सीता 'फल्गू नदी' के किनारे पिंडदान के लिये गये थे। पिंडदान की परम्परा आज भी फल्गू नदी के तट पर जारी है।

पवित्र नगरी गया प्राचीन मगध साम्राज्य का प्रमुख हिस्सा था। गयाधाम अद्भुत स्थान पर स्थित है। यहां से पूर्व दिशा में वैद्यनाथधाम और पश्चिम दिशा में स्थित काशी का विश्वनाथधाम लगभग समान दूरी पर स्थित है।

अध्ययन पद्धति वैज्ञानिकता पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति शोध की आधारशिला होती है। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान के क्रमिक विकास का फल है।

विज्ञान अपने आप में कोई विषय–सामग्री नहीं है। विज्ञान का विषय–सामग्री से कोई संबंध नहीं है। कोई भी विषय–सामग्री विज्ञान हो सकती है, यदि उसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया हो। विज्ञान अपने आप में कोई विषय–सामग्री नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं।

स्टुअर्ट चेज ने कहा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति है, न कि अध्ययन विषय से अर्थात् विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से।

कार्ल पियर्सन ने कहा है– सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि केवल उसकी विषय वस्तु में।

इन्होंने यह भी कहा है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त पथ नहीं है। विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा।

वैज्ञानिक अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हम अनुसंधान करते हैं और सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। जब हम किसी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करते हैं तो हमारा अध्ययन मन की चंचलता एवं ऐच्छिक विचारों द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन पूर्ण कर्मविषयक होता है।

जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अध्ययन किया जाता है तो अध्ययनकर्त्ता तो तटस्थ व निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूचि या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य–कारण सम्बन्धों का पता लगाता है। सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है।

वैज्ञानिक पद्धति के अन्तर्गत सर्वप्रथम विषय से संबंधित तथ्यों ;थ्बजेद्ध को वास्तविक निरीक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है, इसके पश्चात् इसप्रकार एकत्रित तथ्यों का उनकी समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और अन्त में उनका विश्लेषण कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है।

निदर्शन प्रणाली एक वैज्ञानिक पद्धति है। कम धन व व्यय से वही तथ्य प्राप्त होते हैं जो समग्र के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। बाजार में हम रोज इसका प्रयोग देखते हैं। किसी बोरे से कुछ नमुना निकाल लेते हैं और हमें सम्पूर्ण माल के विषय में जानकारी मिल जाती है। निदर्शन का यह प्रतिनिधित्व प्रकृति वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है।

कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अनुसंधान समस्या का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन के लिए निदर्श के औचित्य को समाज वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। वर्तमान अध्ययन के लिए 300 गया के शहरी एवं ग्रामीण परिवार के उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। प्रतिदर्श के चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का आधार यह है कि उसमें अनुसंधानकर्ता समग्र के लक्षणों से पूर्व परिचित होकर निदर्शनों का चुनाव करता है। इस प्रणाली में समग्र के समस्त लक्षणों की पूर्ण जानकारी के आधार पर निदर्शन चुने जाते हैं। स्टडी एरिया के बारे में जानकारी होने के कारण अनुसंधानकर्ता यह अनुमान लगा सकता है कि कौन सी इकाई अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुसंधानकर्ता को उद्देश्य पर आधारित निष्कर्ष चाहिए। अतएव उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुसंधानकर्ता उपयुक्त प्रतिनिधियों या निदर्शनों का चुनाव करता है। इस प्रणाली में निदर्शनों का चुनाव अनुसंधानकर्ता पर अवलम्बित है। अतः अध्ययन के उद्देश्यों को अपना मार्गदर्शक बनाकर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही निदर्शनों पर विचार कर चुनाव करने के कारण ही इसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं।

इसप्रकार उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति कम खर्चीली है क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत छोटा होता है किन्तु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। रिसर्च के लिए विशेष रूप से यह विधि उपयोगी है। इसमें समग्र की कुछ इकाइयों का चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह विधि पूर्वगामी अध्ययनों में बहुत ही लाभप्रद है।

शोध के लिए तथ्यों का संकलन बहुत हीं आवश्यक है। शोध की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में कितने जमीनी एवं सही तथ्यों को इकट्ठा करता है। अर्थात् जो भी तथ्य प्राप्त हों, उन्हें विश्वसनीय होना नितांत आवश्यक है। सूचना प्राप्त करने के स्त्रोतों की विश्वसनीयता के आधार पर हीं सही निष्कर्ष आ पाता है। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि शोधकर्ता को शोध के लिए विश्वसनीय तथ्यों को एकत्रित करना है। इस कार्य के लिए उसे विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता लेनी होगी। अर्थात् अनुसंधान कार्य में अपनी मनमानी नहीं करनी होती है।

इन विभिन्न प्रकार के तथ्यों, सामग्रियों या सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए अध्ययनकर्ता को मोटे तौर पर प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग करना होता है। रॉबर्टसन तथा राइट ने लिखा है कि ''वे तथ्य प्राथमिक होते हैं, जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलन किया जाता है। इसप्रकार इस विद्वान का कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे संकलित तथ्य प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्य कहलाएंगे। ये तथ्य शोधकर्ता खुद या अपने सहायकों की मदद से इकट्ठा करता है।

द्वितीयक तथ्य वे हैं, जिन्हें अध्ययनकर्ता खुद इकट्ठा नहीं करता है वरन् जो पहले से प्रकाशित हैं या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। इन तथ्यों व सामग्रियों को अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। प्राथमिक तथ्यों का इस्तेमाल प्रथम बार किया जाता है। इसका संकलन स्वयं शोधकर्ता द्वारा अध्ययन विषय की जरूरत के अनुसार किया जाता है। द्वितीयक तथ्यों की तुलना में यह अधिक मौलिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होता है जबकि द्वितीयक तथ्य अर्थात् उन्हीं तथ्यों को दूसरी बार उपयोग करने के कारण यह द्वितीयक नाम से जाना जाता है। शोधकर्ता प्रथम बार तथ्यों व सूचनाओं को स्वयं प्राप्त करता है। तथ्यों के संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्त्रोतों से संग्रहण हेतु संरचित साक्षात्कार की अवधि में अवलोकन पद्धति द्वारा बहुपयोगी तथ्यों का संग्रहण किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन को पूरा करने के लिए अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही सहभागी अवलोकन का भी सहारा लिया गया है ताकि उत्तरदाताओं द्वारा बताये गये उत्तरों का सत्यापन हो सके। साक्षात्कार को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाताओं से मिलकर सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही साक्षात्कार अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य है।

तथ्यों के एकत्रीकरण के द्वैतीयक स्रोतों के रूप में प्रकाशित प्रतिवेदनों के अतिरिक्त समाचार–पत्र, पत्रिकाओं का भी सहयोग लिया गया है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की विवेचना में परिवार, जाति एवं आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तरदाताओं की वैयक्तिक पृष्ठभूमि, उनकी जाति, आयु, आय, शिक्षा, व्यवसायों की प्रकृति, परिवार का स्वरूप, सदस्य संख्या, वैवाहिक स्तर इत्यादि व्यक्ति की मनोवृतियों एवं उसके विचारों को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। इनसे संबंधित जो भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें विभिन्न सारणियों के माध्यम से बताया गया है।

सारणी संख्या 1: उत्तरदाताओं की आयु

क्र.सं.	आयु–समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	20 से 25	122	40.66
2.	26–30	75	25.00
3.	31–35	63	21.00
4.	36–40	20	6.66
5.	41–45	13	4.33
6.	46 एवं उससे अधिक	07	2.33
	योग	300	100.00

सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अध्ययन के निदर्शन में 40.66 प्रतिशत उत्तरदाता 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हैं, 25.00 प्रतिशत उत्तरदाता 26–30 वर्ष आयु समूह के, 21.00 प्रतिशत उत्तरदाता 31–35 वर्ष आयु समूह के, 6.66 प्रतिशत 36–40 वर्ष आयु समूह के, 4.33 प्रतिशत उत्तरदाता 41–45 वर्ष आयु समूह के एवं 2.33 प्रतिशत उत्तरदाता 46 से अधिक आयु समूह के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिक सूचनादाता युवा आयु के हैं।

सारणी संख्या 2: उत्तरदाताओं की जातिगत स्थिति

क्र.सं.	जाति–समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सवर्ण जाति	110	36.66
2.	पिछड़ी जाति	88	29.33
3.	अत्यन्त पिछड़ी जाति	60	20.00
4.	अनुसूचित जाति	42	14.00
	योग	300	100.00

सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अध्ययन के निदर्शन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में सवर्ण जाति के 36.66 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। 29.33 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति, 20.00 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ी जाति तथा 14.00 प्रतिशत अनुसूचित जाति से हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाता सवर्ण जाति से हैं।

सारणी संख्या 3: उत्तरदाताओं की शिक्षा

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	15	5.00
2.	प्राथमिक	20	6.66
3.	मिडिल	35	11.66
4.	मैट्रिक	86	28.66
5.	इण्टरमीडिएट	76	25.33
6.	स्नातक	52	17.33
7.	स्नातकोत्तर एवं अन्य तकनीकी	16	5.33
	योग	300	100.00

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 5.00 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित, 6.66 प्रतिशत प्राथमिक, 11.66 प्रतिशत मिडिल, 28.66 प्रतिशत मैट्रिक, 25.33 प्रतिशत इण्टरमीडिएट, 17.33 प्रतिशत स्नातक एवं 5.33 प्रतिशत स्नातकोत्तर एवं अन्य तकनीकी स्तर तक शिक्षित हैं।

सारणी संख्या 4: उत्तरदाता की पारिवारिक मासिक आय

क्र.सं.	पारिवारिक मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	8,000 से कम	30	10.00
2.	8001–10000	63	21.00
3.	10,001–12,000	87	29.00
4.	12001–14000	96	32.00
5.	14000 से अधिक	24	8.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय 8,000 से कम है, 21.00 प्रतिशत उत्तरदाता की पारिवारिक मासिक आय 8001–10,000 के मध्य, 29.00 प्रतिशत उत्तरदाता की पारिवारिक मासिक आय 10001–12000 के मध्य व 32.00 प्रतिशत की 12001–14000 के मध्य आय है तथा 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता की पारिवारिक मासिक आय 14,000 से अधिक है।

सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य व्यक्ति के उद्देश्यों, जीवन उपलब्धि के अवसरों, मनोवृत्तियों, महत्वकांक्षाओं, मूल्यात्मक प्रवृतियों तथा जीवन के प्रगति के अवसरों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक–आर्थिक पार्श्वचित्र, सामाजिक गतिशीलता, नवीन चिन्तन धारा, विकास, परिवर्तन और मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। किसी भी शोध समस्या के अध्ययन में उत्तरदाताओं के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के सम्बन्ध में तथ्यों का ज्ञान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से तथ्यों का संकलन कर उनका विश्लेषण सारणियों के अन्तर्गत किया गया है। उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित सारणियों के अन्तर्गत उत्तरदाताओं से पूछे गए सवालों के जवाब व तथ्यों को अंकित किया गया है। यहां उपकल्पना से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी संख्या 5: रोजगार में सफलता के लिए विशेष निपुणता व हुनर की आवश्यकता होती है तथा आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण।

क्र. सं.	आयु समूह	हाँ	प्र0	नहीं	प्र0	कह नहीं सकते	प्र0	योग	प्रतिशत
1	20 – 25	93	76.22	29	23.77	x	x	122	40.66
2	26 – 30	55	73.33	20	26.66	x	x	75	25.00
3	31 – 35	44	69.84	16	25.39	03	4.76	63	21.00
4	36 – 40	12	60.00	04	20.00	04	20.00	20	6.66
5	41 – 45	03	23.07	06	46.15	04	30.76	13	4.33
6	46 एवं उससे अधिक	01	14.28	01	14.28	05	71.42	07	2.33
	कुल योग	208	69.33	76	25.33	16	5.33	300	100.00

रोजगार में सफलता के लिए विशेष निपुणता व हुनर की आवश्यकता होती है, इस संबंध में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति को सारणी संख्या–5.2 में उम्र के आधार पर ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। 25 से कम उम्र के उत्तरदाताओं 76.22 प्रतिशत, 26–30 आयु के उत्तरदाताओं ने 73.33 प्रतिशत, 31–35 आयु समूह के उत्तरदाताओं ने 69.84 प्रतिशत, 36–40 आयु समूह के 60 प्रतिशत, 41–45 आयु समूह के 23.07 प्रतिशत तथा 46 एवं उससे अधिक आयु समूह के 14.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' के पक्ष में अपने विचार रखे हैं जबकि उपर्युक्त आयु समूह के आधार पर क्रमशः 23.77 प्रतिशत, 28.00 प्रतिशत, 25.39 प्रतिशत, 20.00 प्रतिशत, 46.15 प्रतिशत एवं 14.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विपक्ष में अपनी राय दी है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नौजवान उत्तरदाताओं ने प्रश्न के पक्ष में ज्यादा जागरूक दिखे। इसलिए अच्छे प्रतिशत में उपर्युक्त कथन के पक्ष में अपनी सहमति दी है। केवल 5.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा– ''कह नहीं सकते।''

सारणी संख्या 6: कौशल विकास का रोजगार से घनिष्ठ संबंध है एवं जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण।

क्र. सं.	जाति समूह	हाँ	प्र0	नहीं	प्र0	कह नहीं सकते	प्र0	योग	प्रतिशत
1	सवर्ण जाति	81	73.63	29	26.36	x	x	110	36.66
2	पिछड़ी जाति	60	68.18	23	26.13	5	5.68	88	29.33
3	अत्यंत पिछड़ी जाति	40	66.66	16	26.66	04	6.66	60	20.00
4	अनुसूचित जाति	24	57.14	10	23.80	8	19.04	42	14.00
	कुल योग	205	68.33	78	26.00	17	5.66	300	100.00

उपरोक्त सारणी संख्या–5 को जाति के आधार पर विश्लेषित किया गया है। सवर्ण जाति, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के क्रमशः 73.63 प्रतिशत, 68.18 प्रतिशत, 66.66 प्रतिशत एवं 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि कौशल विकास का रोजगार से घनिष्ठ संबंध है जबकि इन्हीं जातियों के क्रमशः 26.36 प्रतिशत, 26.13 प्रतिशत, 26.66 प्रतिशत एवं 23.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में अपना विचार रखा है। 5.66 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहा– कह नहीं सकते। इसप्रकार, उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा सवर्णों ने अर्थात् 73.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कौशल विकास एवं रोजगार के बीच घनिष्ठ संबंध है, इसको महसूस किये हैं। वैसे 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया है कि कौशल विकास का रोजगार से घनिष्ठ संबंध है।

सारणी संख्या 7: कौशल विकास योजना 'रोजगार सृजन' में प्रभावी भूमिका निभा सकता है एवं शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कह नहीं सकते	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अशिक्षित	02	13.33	03	20.00	10	66.66	15	5.00
2	प्राथमिक	04	20.00	07	35.00	09	45.00	20	6.66
3	मिडिल	11	31.42	24	68.57	x	x	35	11.66
4	मैट्रिक	42	48.83	44	51.16	x	x	86	28.66
5	इन्टरमीडिएट	65	85.52	11	14.47	x	x	76	25.33
6	स्नातक	47	90.38	05	9.61	x	x	52	17.33
7	स्नातकोत्तर एवं तकनीकी	16	100.0	x	x	x	x	16	5.33
	कुल योग	187	62.33	94	31.33	19	6.33	300	100.00

कौशल विकास योजना रोजगार सृजन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति को जांचने–परखने के लिए शैक्षणिक स्तर को आधार बनाया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अशिक्षित, प्राथमिक, मिडिल, मैट्रिक, इण्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं तकनीकी स्तर क्रमशः 13-33%, 20%, 31-42%, 48-83%, 85-52%, 90-38% एवं 100% उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि कौशल विकास योजना रोजगार सृजन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है जबकि इन्हीं विभिन्न शैक्षणिक स्तर के क्रमशः 20%, 35%, 68-57%, 51-16%, 17-47%, 9-61% उत्तरदाताओं ने उपरोक्त प्रश्न पर अपना मत विपक्ष में रखा है। 6.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रश्न के संबंध में अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्किल डेवलपमेंट योजना है। मेक इन इंडिया के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए इस योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा की गई। 2015 में नई नेशनल स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रोनरशिप पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लांच किया गया था। देश की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करना हीं इस योजना का लक्ष्य है। यह योजना युवा वर्ग को संगठित करता है। उन्हें कौशल प्रदान करता है, तत्पश्चात् उनकी योग्यतानुसार उन्हें काम मिलता है। लोग इस योजना से जुड़ सके, इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत उम्मीदवार को जो भी खर्च होता है, उसका वहन सरकार करती है। पीएम कौशल विकास योजना से जुड़कर युवा हुनरबंद हो जाते हैं और इसी हुनर के आधार पर उनकी बेरोजगारी दूर होती है। इसतरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं का कौशल निखर रहा है एवं ये स्वरोजगार व नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में शामिल विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती है। कोर्स पूरा करने के पश्चात् जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो बतौर पुरस्कार राशि 8000/– रूपए दी जाती है। यह योजना भारत सरकार की है। पीएमकेवीवाई स्कूल छोड़ने

वाले एवं कम शिक्षित लोगों के लिए विशेषकर एक बेहतरीन अवसर है जो बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'कौशल विकास' प्रारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मिशन के तहत भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने की दृष्टि से गति प्राप्त कर रही है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 अर्थात् तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में प्रारम्भ कर दिया गया है। पीएमकेवीवाई 3.0 ने 2020–2021 की योजना अवधि में 948.90 करोड़ रूपए के खर्च के साथ 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इन कौशल केन्द्रों एवं 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कुशल पेशेवरों का निर्माण होगा। अतः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मकसद देश के बेरोजगारों को कुशल बनाकर नौकरी व अपने खुद के व्यवसाय के लिए तैयार करना है। तकनीक से लैस करना है ताकि बेरोजगार आत्मनिर्भर बन सके। इसप्रकार भारत के कौशल संबंधी परिवेश ने देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया है युवाओं में जागरूकता की आवश्यकता है। युवा अपनी शक्ति और उत्साह का लाभ कौशल विकास योजना के माध्यम से अपनी क्षमताओं का निर्माण कर भविष्य की दिशा में लम्बी छलांग लगाने वाला है।

कौशल विकास अभियान की सफलता में एक बड़ी चुनौती आर्थिक विकास में भौगोलिक असमानता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यवाओं को प्रशिक्षण उद्योग जगत की मांग के अनुसार किया जाना चाहिए। पूरे देश में कौशल विकास का पाठ्यक्रम और स्वरूप अलग–अलग है। ऐसे कार्यक्रमों में एक बड़ी चुनौती प्रशिक्षण केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति की भी है। ज्यादातर प्रशिक्षण केन्द्र शहरी क्षेत्रों में हैं जबकि प्रशिक्षण क्षेत्रों की ज्यादा संख्या ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए।

सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए अच्छी फंडिंग की जा रही है। बड़ी योजना है, इसलिए भ्रष्टाचार भी है। कौशल विकास अभियान को भ्रष्टाचार के दीमक से बचाने की जरूरत है। इस योजना को सफल करने के लिए लालफीताशाही से भी बचाना होगा। भारत सरकार युवाओं को कुशल बनाने के लिए कटिबद्ध है।

संदर्भ सूची

1 भारत सरकार, भारत में रोजगार परिदृश्य पर पहली तिमाही रिपोर्ट (2016), श्रम और रोजगार मंत्रालय, (2016), ब्यूरो चंडीगढ़ सितंबर, 2016
2 डा. के. राजेश्वर राव और डा. साक्षी खुराना, कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2021
3 रेम्या लक्ष्मणन, कुरुक्षेत्र, फरवरी, 2021
4 डा. श्रद्धा वशिष्ठ, कुरुक्षेत्र, फरवरी 2021
5 लोकमत टाइम्स औरंगाबाद अंग्रेजी, 30 मार्च, 1987
6 राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श, पृ.51
7 Scheme Document of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, pmkvyofficial, org.
8 Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, pmkvyofficial org. 04.12.2015
9 Skillindia.gov.in
10 Business Standard, 21 July, 2016
11 Financial Express, 13 July, 2016
12 Karl Pearson. The Grammer of Science.
13 Stuart Chase. The proper study of mankind, 1956, p.6
14 Goode & Hatt. Methods in Social Research, Newyork; c1952.
15 Young PV. Scientific Social survey and Research, Asia Publishing House, Bombay; c1960.